



दिनांक 24.07.2021

## प्रेस नोट थाना शेरकोट

### थाना शेरकोट पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नासिर मिर्जा 430 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के कुशल पर्यवेक्षण मे दिनांक 23.07.2021 को चैकिंग के दौरान थाना शेरकोट पुलिस द्वारा रामसहायवाला की पुलिस के सामने से चरस ले जाते हुये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा अपना नाम 1.नासिर मिर्जा पुत्र सौलत हुसैन नि0 मौ0 कोटरा कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर बताया। अभियुक्त नासिर मिर्जा उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी/गौतस्कर है, जिसका क्षेत्र मे भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 311/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 व मु0अ0सं0 199/2020 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त थाना शेरकोट का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है। जिसका एच0एस0न0- 79/A है।

दिनांक 11.05.2021 को जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के क्रम में गैग0 एक्ट की धारा 14 (1) की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त नासिर मिर्जा उपरोक्त की सम्पत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त पिछले काफी समय से पुलिस से बचकर अवैध कार्यों में लिप्त था। अवैध चरस की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0-134/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार किये गये अभि0 का नांम व पता –

1. नासिर मिर्जा पुत्र सौलत हुसैन नि0 मौ0 कोटरा कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर उम्र- 42 वर्ष।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-199/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-311/20 धारा 2/3 गैगैस्टर एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-134/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना शेरकोट बिजनौर

### बरामदगी का विवरण –

1. लगभग 430 ग्राम चरस
2. 12735/- रुपये नगद बरामद

### गिरफ्तारी टीम: –

1. थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तोमर थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
3. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना शेरकोट बिजनौर
4. का0 467 प्रशान्त कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
5. का0 862 सुजीत तोमर थाना शेरकोट बिजनौर
6. का0 469 रवि मलिक थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7. का0 107 दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
8. का0 21 सतबीर सिंह थाना शेरकोट बिजनौर
9. का0 2135 अमित भाटी थाना शेरकोट बिजनौर
10. का0 1642 राजकुमार थाना शेरकोट बिजनौर



**थाना नजीबाबाद:-** आज दिनांक 24.07.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मौ० फहीम पुत्र मोहम्मद हफीज निवासी मौ० बासफोदन थाना नजीबाबाद संबंधित मु०अ०सं० 379/21 धारा 10 यूपी गुंडा एक्ट व मु०अ०सं० 380/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

